क्रमांक 1016-ज-(II)-89/33917.—श्री रघुनाथ, पुत्र श्री करड़ा राम, निवासी गांव भागवी, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10084-जे.एन. III-66/16927, दिनांक 22 जुलाई, 1966 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब, श्री रघुनाथ की दिनांक 22 नवम्बर, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा की उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री रघुनाथ की विधवा श्रीमती भागे देवी के नाम खरीफ, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

क्रमांक 1030-ज(2)-89/33921.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में संशोधन किया गया है, की धारा 2(ए)(ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री मांगे राम, पुत्र श्री बल्ला राम, गांव इमलोटा, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को खरीफ, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 1015-ज(II)-89/33925.—श्री हरफूल सिंह, पुत्र श्री डींघा राम, निवासी गांव माईकला, तहसील दादरी, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1790-ज-I-77/27516, दिनांक 3 नवम्बर, 1977 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1970 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री हरफूल सिंह की दिनांक 28 अक्तूबर, 1980 की हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री हरफूल सिंह की विधवा श्रीमती सरपन के नाम खरीफ, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

सागर मल,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

33985 CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.